



जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवादा
(DISTRICT INSTITUTE OF EDUCATION & TRAINING, NAWADA)
Email ID: dietnawada805110@gmail.com
Website:- www.dietnawada.in
Pin Code:-805110

पत्रांक.....361.....

प्रेषक

प्रभारी प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवादा।

सेवा में

कला/वणिज्य तृतीय चयन सूची द्वारा चयनित अभ्यर्थी,
.....
.....

नवादा दिनांक 02/11/2021 2021

बिषय: -
महाशय,

डी0 एल0 एड0 कोर्स द्विवर्षीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण सत्र 2021-2023 में नामांकन के लिए आवश्यक निर्देश।

सूचित करना है कि **D.El.Ed.** कोर्स द्विवर्षीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण सत्र 2021-2023 में नामांकन के लिए आपका चयन औपबधिक रूप से हुआ है (सूची संलग्न)। आप दिनांक- 03.11.2021 तक कार्यदिवसों में (10.00 बजे से 4.00 बजे तक) अपना नामांकन निम्नांकित कागजातों के साथ लेना सुनिश्चित करें-

1. ऑनलाईन आवेदन की प्रिन्ट कॉपी।
2. SBI COLLECT के द्वारा जामा किए गए 100रु0 की पावती E-RECEIPT
3. 10 वीं एवं 12 वीं का मूल अक -पत्र एवं प्रमाण पत्र।
4. आवासीय प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
5. जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
6. सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए (EWS) ECONOMICALLY WEAKER SECTION प्रमाण पत्र।
7. शपथ पत्र।
8. विकलांग प्रमाण पत्र की मूल प्रति (केवल विकलांग अभ्यर्थियों के लिए)।
9. अंतिम संस्थान का विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग/स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्मित बैंक ड्राफ्ट जो PRINCIPAL, DISTRICT INSTITUTE OF EDUCATION AND TRAINING, NAWADA के नाम से बना हो तथा नवादा में भुगतये हो। बैंक ड्राफ्ट निम्न राशि का होना चाहिए-

(क) 7000/- (सात हजार रुपये) केवल अनुसूचित जाति/जन जाति/निःशक्त कोटि के लिए। इस राशि में दोनों वर्षों का कौशन मनी शामिल है।


(ख) 11500/- (ग्यारह हजार पाँच सौ रुपये) अन्य कोटि (क में वर्णित के अलावा) के लिए। इस राशि में दोनों वर्षों का कौशन मनी शामिल है। यह राशि विद्यार्थियों के लिए मासिक भोजन एवं आवास शुल्क छोड़कर है।
कौशन मनी की राशि महाविद्यालय छोड़ने के समय अभ्यर्थी को चेक द्वारा वापस की जाएगी।

10. स्वस्थता प्रमाण पत्र (रजिस्टर्ड चिकित्सक के द्वारा निर्गत)

11. चार पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो।

12. सभी प्रमाणपत्रों की दो-दो स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ सभी मूल प्रमाणपत्रों को एक बन्द फाइल में लाना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि तक नामांकन नहीं लेने पर एवं किसी प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता की स्थिति में नामांकन का दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा। उम्र की गणना 01 जनवरी 2021 को आधार मानकर होगी तथा निर्धारित अर्हता 01 जनवरी 2021 तक पूर्ण नहीं होने की स्थिति में नामांकन नहीं लिया जाएगा। शास्त्री, उपशास्त्री, प्राक्शास्त्री, पोलटेकनीक, आई0टी0आई0 नामांकन के पात्र नहीं होंगे। मौलवी डीग्रीधारी केवल उर्दू के लिए नामांकन के पात्र होंगे। सत्यापन के क्रम में प्रमाण पत्रों के गलत पाए जाने की स्थिति में नामांकन रद्द करते हुए कानूनी कारवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,


02/11/2021

प्राचार्य, प्रभारी

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
नवादा